न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा, जिला कोटा (राज0)
पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 03 / 2020 / (गुण्डा एक्ट)
जी.सी.एम.एस नं.– 2020 / 00063

उनवान

राज्य सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस स्टेशन मण्डाना जिला कोटा ग्रामीण (राज0)

बनाम

नरेश पुत्र किशनलाल जाति बंजारा उम्र 32 साल निवासी गणेशपुरा कसार थाना मण्डाना, जिला कोटा।

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 (1)राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम

निर्णय दिनांक : 29/01/26

थानाधिकारी पुलिस स्टेशन **मण्डाना** जिला कोटा ग्रामीण की ओर से जर्ये पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा (ग्रामीण) यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही हेतु इस आशय के साथ पेश किया गया कि गैरसायल **नरेश पुत्र किशनलाल जाति बंजारा उम्र 32 साल निवासी गणेशपुरा कसार थाना मण्डाना, जिला कोटा** थाना क्षैत्र में अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तथा जुआ अध्यादेश अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने का आदी है, तथा उक्त अपराध को करने में थाना क्षैत्र में आतंक बनाकर रखता है। गैरसायल की उक्त गतिविधियों से आम जन आतंकित होकर भयग्रस्त रहते है। जिससे उसके क्षैत्र में निवास करने वाले साक्षी लोग उसके विरूद्ध साक्ष्य देने के लिऐ आगे आने के इच्छुक नहीं रहते है। साक्ष्य देने की स्थिति में अपने आपको असुरक्षित महसूस करते है। गैरसायल के विरूद्ध आपराधिक रिकार्ड निम्न है।

क्र. स.	प्रकरण संख्या	धारा	चार्जशीट न0 व दिनांक	न्यायालय निर्णय
1.	139/2019	13 आरपीजीओ	124/19-9-2019	100 रू0 जुर्माना
2.	166/2019	13 आरपीजीओ	146/30-10-2019	100 रू0 जुर्माना

अतः **नरेश पुत्र किशनलाल जाति बंजारा उम्र 32 साल निवासी गणेशपुरा कसार थाना मण्डाना, जिला कोटा** के विरूद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी गैरसायल की गई। गैरसायल को सारवान आरोपों को अभिलिखित करते हुऐ नोटिस दिया गया। गैरसायल ने उपस्थित होकर थानाधिकारी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा को स्वीकार कर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी वर्तमान में शांतिपूर्वक मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है। बार बार अदालत में आने के कारण मजदूरी / व्यवसाय में आर्थिक हानि होती है अतः उक्त कार्यवाही को निर्णित किये जाने की कृपा करे।

अति. जिला कलक्टर
कोटा

गैरसायल नरेश के वर्तमान के अपराधिक रेकार्ड व चाल चलन के संबध में पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण कोटा से भी रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण कोटा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार गैरसायल नरेश के विरूद्व पूर्व में प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार 2 प्रकरणाों के अतिरिक्त थाना मण्डाना के रिकार्ड के अनुसार थाना मण्डाना पर अभियोग संख्या 192/5.10.2025 धारा 431,323 आइ.पी.सी. में पंजीबंद होकर बाद अनुसंधान के चार्जशीट नम्बर 152/17.10.2022 एवं अभियोग संख्या 48/30.3.2024 धारी 341,323 आई.पी.सी. मे पंजीबंद्व होकर बाद अनुसंधान के चार्जशीट नम्बर 65/31.05.2024 में कता कर चालान संबधित न्यायालय में पेन्डिग है। वर्तमान में गैरसायल नरेश शराब के ठेके पर सेल्समेन का काम करता है जो लडाई झगडे का आदी है जिसकी आम शोहरत सही नही है।

अतः थानाधिकारी **मण्डाना** द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। थानाधिकारी **मण्डाना** द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही में गैरसायल के विरूद्व 13 आर.पी.जी.ओ. की धारा मे 02 एवं आई.पी.सी. की धारा में 2 प्रकरण पंजीबंद हुए तथा गैरसायल की आम शोहरत सही नही है।

अतः इस्तगासा में वर्णित अभियोग में गैरसायल को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध एंव दण्डित करने की स्थिति विद्यमान है। जिसके लिऐ पेरोकार सरकार द्वारा गैरसायल की गतिविधियां आमजन के लिऐ घातक होना कथन करते हुऐ गैरसायल को जिला बदर किये जाने की प्रार्थना की गई। गैरसायल को इस इस्तगासा प्रकरण में वर्णित 13 आरपीजीओ एवं अन्य आई.पी.सी.की धाराओ में दर्ज प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध एंव दण्डित करने की प्रमाणिक स्थिति विद्यमान होने के कारण गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत गुण्डा परिभाषित है। जिसके फलस्वरूप राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उपधारा 1 (ए) (बी) तथा (सी) के अन्तर्गत वर्णित स्थिति विद्यमान होना पाते हुऐ गैरसायल को जिला बदर किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार **नरेश पुत्र किशनलाल जाति बंजारा उम्र 32 साल निवासी गणेशपुरा कसार थाना मण्डाना, जिला कोटा** राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत **15** दिन के लिऐ **थाना मण्डाना** कोटा की सीमा से **जिला बून्दी** के लिऐ निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल इस समयावधि में जिला कोटा की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, नेकचलन रहेगा तथा निष्कासन अवधि के दौरान आने वाले सोमवार को अपनी उपस्थिति तथा गतिविधियो की जानकारी **थानाधिकारी, केशवरायपॉटन ,जिला बून्दी** को प्रस्तुत करेगा । **थानाधिकारी, केशवरायपॉटन ,जिला बून्दी** गैरसायल की गतिविधियों पर निगरानी रखेगें। गैरसायल की उक्त **15** दिवस की निष्कासन अवधि **20** दिन पश्चात अर्थात **दिनांक** 20...../**02/2026** से प्रारम्भ होगी। थानाधिकारी थाना **मण्डाना** जिला कोटा ग्रामीण उक्त गैरसायल **नरेश पुत्र किशनलाल जाति** बंजारा **उम्र 32** साल निवासी गणेशपुरा **कसार थाना मण्डाना, जिला कोटा** को दिनांक 20.../**02/2026** को पुलिस अभिरक्षा में थाना **मण्डाना** जिला–कोटा (ग्रामीण) की सीमा से थाना, **थानाधिकारी, केशवरायपॉटन ,जिला बून्दी** की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था करेगें। थानाधिकारी, **थानाधिकारी, केशवरायपॉटन ,जिला बून्दी** उक्त गैरसायल की उपस्थिति की सूचना देगे तथा निष्कासन अवधि समाप्त होने पर थानाधिकारी **मण्डाना** जिला कोटा (ग्रामीण) गैरसायल के वापस थाना क्षैत्र **मण्डाना** जिला कोटा (ग्रामीण) में लोटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेगें।

निर्णय आज दिनांक 29/01/26........ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह ...)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कोटा, जिला कोटा।